



आदत बने रह, वाहन मालिक अखिल पटान पत्रु गन्नी पटान निवासी वार्ड न0 11 रूपपुरा, तहसील माण्डल जिला भीलवाड।	बनाम	थानाधिकारी, पुलिस थाना माण्डल, जिला भीलवाडा।
- प्रार्थी		- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वाहन रीलिज करवाने बाबत।

प्रकरण संख्या 04/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
17.02.2026	पत्रावली अनुभाग में बाद जाँच पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र में की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डल को भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जावे। प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2026 को पेश हो।  जिला कलक्टर भीलवाडा	
24.2.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उगीर। पुलिस थाना माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त होकर जा.फा. है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्तु निर्णय हेतु 4.3.26 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाडा	
4.3.26	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाडा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 15-4-26 को पेश हो।  जिला कलक्टर भीलवाडा	
15-4-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उगीर। पत्रावली का अपलोका किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वाहन मोटर साइकिल का उपयोग गोंबरा अधिनियम के तहत गोंबरा अपराध में नहीं होता धारा 298 BNS के अपराध करने में उपयोग में लिया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन मोटर साइकिल बजाज लीटा 100 RJ-06-BF-0639 को जमानत पर मुक्त करने हेतु श्रवणाधिकारी एस-आपातय के अज्ञातकार में नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जा.पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वारीजु किया जा रहा है। पत्रावली फैसल इस्मात होकर गन्तव्य से भ्रम करे।	